

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कन्धरापुरकिशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 19.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त शिवा कुमार पुत्र लड्डू उर्फ लालबहादुर निवासी आखापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ हालपता गोपालगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/2023 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.09.2023 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवा कुमार पुत्र लड्डू उर्फ लालबहादुर को गोपालगंज से समय करीब 02.10 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- शिवा कुमार पुत्र लड्डू उर्फ लालबहादुर निवासी आखापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ हालपता गोपालगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 273/2023 धारा 363/366 भादवि0 थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना तहबरपुरगैर इरादतन हत्या का आरोपी किशोर अपचारी पुलिस संरक्षण में

पूर्व की घटना- दिनांक 08.09.2023 को वादी मुकदमा श्यानरायन सरोज पुत्र स्व0 विन्दर सरोज ग्राम बसही जरमजेपुर, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरे छोटे भाई, उसकी पत्नी व उसके लड़के ने मेरे बड़े भाई राजनरायन सरोज को घर के बटवारे को लेकर लाठी डण्डा से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिससे इलाज के दौरान (जिला अस्पताल आजमगढ़ में) उनकी मृत्यु हो गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/2023 धारा 304 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद मिश्र थाना तहबरपुर, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.09.2023 को थानाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित किशोर अपचारी को राष्ट्रीय इण्टर कालेज तहबरपुर से समय करीब 10.10 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर किशोर अपचारी को मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 177/2023 धारा 304 भादवि थाना तहबरपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

पुलिस संरक्षण मे लेने वाली पुलिस टीम-1. थानाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद मिश्र मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सरायअवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 25.09.2023 को उ0नि0 प्रदीप कुमार राही मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रुदरी अण्डरपास से अभियुक्त नीरज यादव पुत्र छोटेलाल यादव ग्राम बालेपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया जिसके पास से 01 कट्टा 303 बोर व 01 जिंदा कारतूस नाल में 303 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 319/2023 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- नीरज यादव पुत्र छोटेलाल यादव ग्राम बालेपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 कट्टा 303 बोर , 01 जिंदा कारतूस नाल में 303 बोर

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 प्रदीप कुमार राही मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर
पिकअप मे लदे 01 राशि गोवंश के साथ अभियुक्त गिरफ्तार; चापड़ बरामद

दिनांक 24.09.2023 को उ0नि0 अशोक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा रसूलपुर मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान सामने से आ रही गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो चालक गाड़ी को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा तथा हडबड़ाहट में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गयी। जिसमें से 01 व्यक्ति अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया तथा एक अभियुक्त सूरजभान उर्फ सोनू पुत्र मनोज कुमार निवासी अगसड़ा मुस्तफाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को चोट आ गयी और समय करीब 21.50 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 01 चापड़ तथा पिकअप गाड़ी से 01 गाय बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 268/23 धारा 3/5क/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 11(च) पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर पर पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने फरार व्यक्ति का नाम भारत यादव पुत्र जंगी यादव निवासी मंजीरपट्टी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ बताया और बताया कि मैं और भारत यादव इस गाय को मैजिक गाड़ी पर लादकर जौनपुर बेचने ले जा रहे थे।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 268/23 धारा 3/5क/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 11(च) पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सूरजभान उर्फ सोनू पुत्र मनोज कुमार निवासी अगसड़ा मुस्तफाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी- 01 गाय, 01 चापड़ (लोहे की) व 01 पिकअप गाड़ी।

आपराधिक इतिहास-

सूरजभान उर्फ सोनू पुत्र मनोज कुमार

- 1- मु0अ0सं0- 138/2019 धारा 3/5क/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 11(च) पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 2- मु0अ0सं0- 58/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 3- मु0अ0सं0- 142/2022 धारा 10 यू0पी0 गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
- 4- मु0अ0सं0- 352/2022 धारा 3/5क/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 11(च) पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
- 5- मु0अ0सं0- 194/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
- 6- मु0अ0सं0- 268/23 धारा 3/5क/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 11(च) पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1 उ0नि0 अशोक कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

ट्रक में लदे 09 राशि गोवंश के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24-09-2023 को थानाध्यक्ष विनय कुमार दूबे मय हमराह को सूचना मिली की कुछ व्यक्ति 01 ट्रक में पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर बड़गहन तिराहे से जाने वाले है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष विनय कुमार दूबे मय हमराह द्वारा बड़गहन तिराहे से अभियुक्तों 1. नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र परशुराम यादव सा0 पूरे पण्डित का पूरवा थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर 2. प्रेमवीर यादव पुत्र सूर्यभान यादव सा0 लग्गुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को ट्रक में ले जा रहे 09 गोवंश के साथ समय करीब 14:10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त रोहित यादव पुत्र लालबहादुर यादव सा0 बड़ेगाँव कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर व विपिन यादव पुत्र झन्नू यादव सा0 बड़ेगाँव कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 393/23 धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 1955 व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम पंजीकृत कर ट्रक को MV Act के तहत सीज किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 393/23 धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 1955 व 11 पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र परशुराम यादव सा0 पूरे पण्डित का पूरवा थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर।
2. प्रेमवीर यादव पुत्र सूर्यभान यादव सा0 लग्गुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:- 01 ट्रक व 09 गोवंश (05 अदद गाय व 04 अदद बछड़ा)

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. SO विनय कुमार दूबे मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 कमला सिंह यादव थाना बरदह, आजमगढ़

थाना-मेंहनाजपुर

धर्म परिवर्तन कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 24.09.23 को वादी मुकदमा रविन्दर राम पुत्र मानेराम ग्राम लालमऊ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि सलमान पुत्र इसराइल ग्राम सिधौना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर व उसके सहयोगी मेरे घर आकर मुझे पैसे का लालच देते हुए एवं बच्चों को क्रिस्चियन विद्यालय में पढ़ाने का लालच देते हुए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/23 धारा 295ए,505(2) भादवि व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 24.09.2023 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. सलमान पुत्र इसराइल ग्राम सिधौना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर, 2. त्रिभुवन राम पुत्र श्रीपत राम ग्राम खुन्दनपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम लालमऊ से समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से 10 बाइबल, 01 माईक्रो मशीन, 02 माइक लीड सहित, 02 बुफर बरामद किया गया।

अपराध का तरीका- लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 207/23 धारा 295ए,505(2) भादवि व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सलमान पुत्र इसराइल ग्राम सिधौना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

2. त्रिभुवन राम पुत्र श्रीपत राम ग्राम खुन्दनपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 10 बाइबल 01 माईक्रो मशीन , 02 माइक मय लीड 02 बुफर।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 विनोद यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

3. का0 दीपू पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

4. का0 अशफाक अहमद थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.09.2023 को वादी मुकदमा मिर्जा इश्तेयाक पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरा लड़का नावेद खेत में पड़े जानवर को भगा रहा था जिसको अभियुक्तों ने गाली गलौज देते हुए मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 323/2023 धारा 323/324/504/506/308 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना व.उ.नि. मदन कुमार गुप्ता द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.09.2023 व.उ.नि. मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित

अभियुक्त नन्हे उर्फ नन्हे मोछू पुत्र जमील उर्फ जलील निवासी मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को वहाव चौक से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 01 लाठी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नन्हे उर्फ नन्हे मोछू पुत्र जमील उर्फ जलील निवासी मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र लगभग 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1- मु.अ.स. 323/23 धारा 323/324/504/506/308 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

2- मु.अ.स. 324/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

3- मु.अ.स. 147/08 धारा 498ए/323/394 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

4- मु.अ.स. 751/08 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 307 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ.नि. मदन कुमार गुप्ता का0 कुन्दन कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।